



जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर

मुख्यालय : 30-डी, 'ओ' ब्लॉक, आलू मण्डी, किदवई नगर, कानपुर

दूरभाष : 0512-2662785 फ़ैक्स : 0512-2609729 ई-मेल : dcb.kanpur@gmail.com

पत्रांक 1403...../लेखा/2025-26

दिनांक 12/08/25

अनुभाग अधिकारी (आई०टी०)
जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 का समवर्ती आडिट कराने हेतु बैंक वेबसाइट पर कोटेशन
आमंत्रण एवं TOR को अपलोड करने विषय।

बैंक का वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक मुख्यालय सहित 30 शाखाओं का समवर्ती अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कराना है। कोटेशन आमंत्रण हेतु बैंक वेबसाइट पर विज्ञापित अपलोड किया जाना है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न कोटेशन आमंत्रण एवं TOR को बैंक वेबसाइट पर अपलोड करते हुये सम्बन्धित का screen shot लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक-कोटेशन आमंत्रण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश (TOR)


सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर।



जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर

मुख्यालय : 30-डी, 'ओ' ब्लॉक, आलू मण्डी, किदवई नगर, कानपुर
दूरभाष : 0512-2662795, फ़ैक्स : 0512-2608729 ई-मेल : dcb.kanpur@gmail.com

पत्रांक...1401...../लेखा/2025-26


दिनांक...12/08/25

कोटेशन आमंत्रण

जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर की 30 शाखाओं एवं मुख्यालय का वित्तीय वर्ष 2025-26 का समवर्ती अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक DCBR.CO.BPD(PCB).MC.NO.3/12-05-001/2015-16 दिनांक 01.07.2015 में निहित कवरेज एक्टीविटी के अनुसार जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.dcbkanpur.com पर भी उपलब्ध है चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से कराया जाना है। समवर्ती अंकेक्षण त्रैमासिक आधार पर करके रिपोर्ट मुख्यालय को त्रैमास समाप्त होने के अगले माह की 15 तारीख तक शाखावार प्रेषित करना अनिवार्य है। इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म जिन्हे सहकारी बैंक अंकेक्षण के साथ DISA (DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT) CERTIFICATION प्राप्त होने का अनुभव हो सील बन्द लिफाफे में अपना कोटेशन रजिस्टर्ड डाक/सीधे बैंक के प्रधान कार्यालय को दिनांक 20.08.2025 तक प्रेषित करे।

पता-

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर।
30-डी, ओ० ब्लाक, किदवई नगर,
कानपुर-208011


सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर।



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2015-16/3

DCBR.CO.BPD.(PCB).MC.No. 3/12.05.001/2015-16

July 1, 2015

Chief Executive Officers of
All Primary (Urban) Co-operative Banks

Madam/Dear Sir

Master Circular on Inspection & Audit Systems in Primary (Urban) Co-operative Banks

Please refer to our Master Circular UBD.BPD.(PCB).MC.No.9/12.05.001/2014-15 dated July 1, 2014 on the captioned subject (available at RBI website www.rbi.org.in). The enclosed Master Circular consolidates and updates all the instructions / guidelines on the subject up to June 30, 2015.

Yours faithfully

(Suma Varma)
Principal Chief General Manager

सहकारी बैंक विनियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, गारगेंट हाउस, पहली मंजिल, डॉ ए वी रोड, वरली, मुंबई- 400018 भारत
फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई-मेल: cgmincubd@rbi.org.in

Department of Co-operative Bank Regulation, Central Office, Garment House, 1 Floor, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai - 400018, India

Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; Email: cgmincubd@rbi.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

चेतावनी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एराएमएस या फोन कॉल के जरिये कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का नंबर, पता आदि नहीं मांगा जाता है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी प्रकार से जवाब मत दीजिए।

